न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 16/491

बृजमोहन आत्मज स्व0 श्री कन्हैया लाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रमेशचन्द्र आत्मज श्री बद्रीलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोदल्याहेडी हाल निवासी भंवरगढ तहसील केलवाडा जिला बारां ।
2. शान्ति बाई पुत्री बद्रीलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम केलवाडा तहसील केलवाडा जिला बारां ।
3. देवकीनन्दन आत्मज श्रीराम गोपाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा हाल निवासी साबरमती कॉलोनी कैथूनीपोल कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. प्रेमबाई पुत्री श्री रामगोपाल जी पत्नी श्री विशम्भर जी जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 933– 934 महावीर नगर तृतीय कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. मनोहर पुत्री श्री रामगोपाल जी पत्नी श्री मदन माहेन जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
6. रामकरण आत्मज श्री कन्हैया लाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हुकमचन्द जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
3. श्री नन्दसिंह हाडा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट 3, 4, 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 21.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 194 की 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 की 1.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 37 की 0.03 हैक्टर,

खसरा नम्बर 475 की 3.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 535 की 1.83 हैक्टर कुल 05 किता की रकबा 7.33 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रतिवादी बद्रीलाल, रामगोपाल, जमना लाल एवं सूरज मल हिस्सा बराबर से दर्ज है । चारों सहखातेदारों की मृत्यु हो चुकी है । उक्त भूमि में मृतक सूरजमल का 1/4 हिस्सा था जो कि उसने वादी व प्रतिवादी कम 6 के पिता कन्हैया लाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान कर दिया था जो खसरा नम्बर 298 की 10 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर395 की 01 बीघा 06 बिस्वा कुल 12 बीघा दिनांक 19.12.1972 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा 5000/– रूपये में विक्रय की गई थी तथा कब्जा दे दिया था । उसके आधार पर वादी के पिता कन्हैया लाल जी का नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया लेकिन प्रतिवादी कम 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी कम 3 से 5 के पिता श्री बद्रीलाल, रामगोपाल व जमना लाल द्वारा एक दावा धारा 88, 89 एवं 183 का उक्त भूमि के सम्बन्ध में पेश किया गया जो दिनांक 07.02.1991 को वादी के पिता के खिलाफ डिक्री हो गया जिसके खिलाफ वादी के पिता कन्हैया लाल ने राजस्व अपील प्राधिकारी के यहॉ अपील की जो दिनांक 29.01.1993 को खारिज कर दी गई । वादी के पिता राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया कि वादी अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन के लिए 1/4 हिस्से का दावा पेश करने के लिए स्वतंत्र है और इस आधार पर वादी सम्पूर्ण आराजी का विधिवत विभाजन करवाकर 1/4 हिस्से की भूमि में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादी को 1/4 हिस्से की आराजी संयुक्त खातेदारी से हटाई जाकर वादी के पृथक खाते दर्ज की जाकर पृथक लगान राज कायम किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती व अमल अरामद किया जावे वादी को मौके पर 1/4 हिस्से पर पृथक से काबिज करवाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 6 रामकरण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज करने एवं स्वयं द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.08.2016 के द्वारा वादी का वाद और प्रतिवादी कम 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में से 1/4 हिस्से का वादी, प्रतिवादी कम 6 एवं चमेली बाई को खातेदार घोषित करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 20.03.1992 का गहनता से अवलोकन किये बिना ही उक्त इकरारनामे को प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अपने पिता कन्हैया लाल के पक्ष में निषपादित करना मानने में त्रुटि की है । उक्त इकरारनामे में प्रतिवादी कम 6 द्वारा स्पष्ट रूप से आलेखित किया गया था कि विवादित आराजी बाबत् न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहॉ केस चल रहा है तथा उसमें होने वाले समस्त खर्चे को बृजमोहन ही वहन कर रहा है तथा उसके पिता श्री कन्हैया लाल जी का एक खेत जो रामभरोस मीणा आत्मज श्री रामचन्द्र जी मीणा के यहॉ रहन रखा हुआ है जिसकी सम्पूर्ण बकाया राशि भी बृजमोहन ही अदा करेगा तथा प्रतिवादी कम 6 द्वारा उक्त इकरारनामे में यह

भी आलेखित किया है कि मेरे पिता जी श्री कन्हैया लाल जी का कभी भी देहान्त हो जावे एवं बाद में किसी भी प्रकार का उज्र एतराज नहीं हो इसलिए उक्त विवादित भूमि में मेरे वारिसान का कोई हक–हकूक किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी क्रम 6 का उपरोक्त आराजी में हिस्सा होना मानने में त्रुटि की है । वर्ष 1992 से विवादित आराजी के 1/4 हिस्से पर वादी ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में सन् 2005 के पहले पैतृक सम्पत्ति में बेटियों का अधिकार नहीं था । कन्हैयालाल जी की मृत्यु वर्ष 2005 से काफी समय पूर्व ही हो गई है ऐसी स्थिति में पुत्री चमेली बाई का हिस्सा मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनांमे का गहनता से अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया है । प्रतिवादी क्रम 6 का इस आराजी में हिस्सा मानकर त्रुटि की है । सन् 1992 से आराजी के 1/4 हिस्से में वादी का ही कब्जा है चमेली बाई को वाद में पक्षकार नहीं होने के बावजूद हिस्सा दिया गया है । वर्ष 2005 से पूर्व पैतृक सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं थे । कन्हैया लाल की वर्ष 2005 से पूर्व ही मृत्यु हो चकी है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.08.2016 निरस्त फरमाया जावे और अपीलान्ट को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 6 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता कन्हैया लाल ने क्रय की थी और कन्हैयालाल के 03 वारिस हैं । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट क्रम 6 रामकरण और एक पुत्री चमेली बाई । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय में चमेली बाई को कन्हैयालाल का कायममुकाम दर्शाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.08.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 3, 4 व 5 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी बैद्यनाथ जी के खाते में दर्ज । बैद्यनाथ के 04 पुत्र थे बद्रीलाल, रामगोपाल, जमुना लाल एवं सूरजमल, जमुना लाल लाऔलाद फौत हुआ है । अपीलान्ट के पिता कन्हैया लाल का यह कथन है कि सहखातेदार सूरजमल ने उनको वादग्रस्त आराजी में से विशिष्ट खसरा नम्बर का बेचान किया गया है जबकि सहखातेदार किसी विशिष्ट खसरा नम्बर का बेचान नहीं कर सकता है । हाल खसरा नम्बर 194 और खसरा नम्बर 222 अपीलान्ट के कब्जे में है । पारिवारिक बंटवारे में अपीलान्ट को प्राप्त हुए हैं । जमुना लाल लाऔलाद फौत हुआ है उनका हिस्सा बद्रीलाल और रामगोपाल को प्राप्त होगा । इस समस्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया है । अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय

दिनांक 20.02.1981 की प्रमाणित प्रति संलग्न है इस निर्णय में कन्हैया लाल के कायममुकामान के रूप में वादी बृजमोहन, प्रतिवादी कम 6 रामकरण और चमेलीबाई का नाम अंकित है परन्तु इस प्रकारण में चमेली बाई को पक्षकार नहीं बनाया जबकि कन्हैयालाल की वारिस होने के नाते वह इस प्रकारण में आवश्यक पक्षकार है । वादी के बयान पी.डब्ल्यू. –1 का भी हमने अवलोकन किया जिसमें यह अंकित है कि पिता की पुत्री चमेली बाई है और चमेली बाई अभी जीवित है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी में वादी, प्रतिवादी कम 6 और चमेलीबाई को 1/4 हिस्से का सहखातेदार मानते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिकी जारी की है परन्तु चमेली बाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । चमेलीबाई को पक्षकार नहीं बनाये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिकी निरस्तनीय है ।

12. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में यह कथन किया है कि कन्हैयालाल की मृत्यु सन् 2005 से पूर्व हुई है इस कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्रियों को कोई अधिकार वादग्रस्त आराजी में नहीं है । हम अपीलान्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वर्ष 2005 से पूर्व यदि पिता की मृत्यु हो गई है तो भी उनकी पुत्रियों को वादग्रस्त आराजी में अधिकार प्राप्त है । सन् 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार पुत्रियों को पिता के जीवनकाल में सम्पत्ति में अधिकार दिया गया है परन्तु पिता की मृत्यु के उपरान्त सम्पत्ति में अधिकार पुत्रियों को 2005 से पूर्व से ही था ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में चमेली बाई पुत्री कन्हैयालाल को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से (जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए) विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारों को पाबन्द किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21.8.18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

– स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाड़पुरा जिला कोटा (राज0)